

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद / 2022(2022 / 106)

1. मुन्नी देवी पुत्री राजू जाति हरीजन निवासी केकडी तहसील सावर जिला अजमेर।

— प्रार्थी



1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित -

प्रार्थी वकील :- प्रार्थीया स्वयं

पैरोकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 4.7.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत् 2072-75 में दर्ज अकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
233-270	1876 / 1005	1.6200	गै.मु.पडत
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.6200	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसीप्रकार विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीया अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी के कार्यालय में दिनांक 7.6.2022 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है।




उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

हमने पञ्चावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पार्थना पत्र में उचित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगद्दी करवाने के हक अधिकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगद्दी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगद्दी अन्तर्गत धारा 128 भूरा अधि के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर बाके ग्राम टांकावास तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 233-277 के खसरा संख्या 876/1005 संख्या 1 6200 हैक्टर की पत्थरगद्दी प्रार्थना द्वारा नियमानुसार पत्थरगद्दी शुल्क जमा कराने पर कामिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्न अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विक्रम चवला)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
केकड़ी (अजमेर)